Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 46/2021

Ganga Ram Marandi ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–890 दिनांक–21.06.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। विपक्षी सं0–04 को बार–बार सूचित करने के बाद भी सुनवाई में हिस्सा नहीं लिया गया। फलतः एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आवेदक को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक प्रखंड–धमदाहा, ग्राम पंचायत–दमेली, वार्ड सं0–06 के निर्वाचित वार्ड सदस्य–सह–अध्यक्ष चयन समिति के पद पर कार्यरत हैं। इनके द्वारा पंचायत–दमेली, आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–77 की सेविका पवित्री देवी के केन्द्र से लगातार अनुपस्थित रहने एवं उनके विरूद्ध आपराधिक मामले की प्राथमिकी दर्ज होने संबंधी आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक–1809 दिनांक–31.10.2019 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा ने पत्रांक–785 दिनांक–19.11.2019 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि सेविका की अनुपस्थिति के कारण उक्त केन्द्र का संचालन निकटवर्त्ती केन्द्र सं0–78 से संबद्ध कर दिया गया। सेविका लगभग 04 माह से अपने केन्द्र से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने एवं मीरगंज थाना कांड सं0–131/2019 की प्राथमिकी अभियुक्त है। निम्न न्यायालय में विपक्षी सं0–04 द्वारा ईलाजरत रहने की सूचना निबंधित डाक द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजा गया था। आवेदक का यह भी कहना है कि विपक्षी पवित्री देवी पति–राजकिशोर साह को मनोज कुमार साह के द्वारा मीरगंज थाना कांड सं0–131/2019 प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए मेडिकल साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा आपराधिक मुकदमा के फलाफल के पश्चात् विपक्षी के सेवा से स्वतः मुक्त हो जाने के शर्त्तों पर सेविका पद पर बहाल रखने का अवैध आदेश पारित किया	

Web Copy Not Official.

		गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। विपक्षी सं0–04 पवित्री देवी उक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	जो जाली मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर गिरफ्तारी से बचने एवं न्यायालय को गुमराह करने का कार्य कर रही है। उक्त थाना कांड में विपक्षी को जमानत मिलने के पश्चात् उनके द्वारा केन्द्र में योगदान हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। जबकि विपक्षी के विरूद्ध उक्त कांड में आरोप पत्र सं0–104 दिनांक–31.12.2020 द्वारा पूरक आरोप पत्र धारा 341/323/324/307/504/506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आपराधिक मुकदमे के अभियुक्त को सेवा में बनाये रखने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–01 से 03 (राज्य सरकार) की से प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा पत्रांक–739 दिनांक–31.10.2019 द्वारा आवेदक के आवेदन पर समुचित कार्रवाई हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से इस संबंध में जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा ने पत्रांक–1304 दिनांक–13.04.2020 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को समर्पित करते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी सं0–04 द्वारा चिकित्सा पुर्जा संलग्न करते हुए बीमार होने की सूचना भेजी गई है। जबकि इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा ने उक्त स्थिति में विपक्षी सं0–04 के योगदान के संबंध में विपक्षी सं0–03 से निर्देश की माँग की। विपक्षी सं0–04 ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपने अस्वस्थता एवं उक्त प्राथमिकी में जमानत पर होने के आधार पर योगदान करने का अनुरोध किया। विपक्षी सं0–01 एवं 02 के द्वारा पृथक रूप से समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा इस शर्त्त के साथ विपक्षी सं0–04 को योगदान करने का आदेश पारित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित/दंड़ित किये जाने का आदेश पारित होने से वे सेवा से स्वतः मुक्त हो जायेगी। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। आवेदक एवं विपक्षी राज्य सरकार को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं0–04 पावित्री देवी को प्रस्तुत मामले में	

Web Copy, Not Official.

		अपना पक्ष रखने हेतु कई बार सूचना निर्गत किये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। आवेदक द्वारा उठाये गये तथ्यों से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि विपक्षी सं0–04 लगभग 04 माह से लगातार अपने केन्द्र से अनुपस्थित रही है तथा मीरगंज थाना कांड सं0–131/2019 धारा 341/323/324/307/504/506/34 भा0द0वि0 के प्राथमिक अभियुक्त हैं और इनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित है जो सक्षम व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका में सेविका/सहायिका पर अनुशासनिक कार्रवाई के क्रमशः	
	लगातार 29.08.2023	संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है कि पंद्रह दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने, आपराधिक घटना में शामिल होने पर उनके विरूद्ध चयनमुक्ति की कार्रवाई का प्रावधान निरूपित है जो कालांतर में निर्गत संशोधित मार्गदर्शिका में उक्त तथ्य के विरूद्ध कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–890 दिनांक–21.06.2021 को निरस्त करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त केन्द्र पर नये सिरे से सेविका चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.